न्यायालय अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट(शहर) प्रथम, जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– ***सीमा कविया, आर.ए.एस.***

फौजदारी प्रकरण संख्या 32/1993

सायलः–

थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमंदिर, जोधपुर

बनाम

गैरसायलानः–

पार्टी संख्या 1.

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह, जाति–राजपुत, निवासी– सेतरावा हाल ओल्ड पब्लिक पार्क राईका बाग, जोधपुर।

पार्टी संख्या 2.

1. बाघसिंह पुत्र श्री राजुसिंह, जाति–राजपुत, निवासी– हाल उम्मेद पैलेस, जोधपुर।

पार्टी संख्या 3.

1. महाराज प्रहलादसिंह पुत्र श्री हनुवंतसिंह, मैनेजर महाराजा श्री उम्मेदसिंह रिलिजियस ट्रस्ट उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर।

इस्तगासा अर्न्तगत धारा 145 सी.आर.पी.सी. थाना उदयमंदिर जिला जोधपुर

निर्णय **दिनांकः–** 13/2/2017

उपस्थितिः– ए.पी.पी. अधिवक्ता सायल
पार्टी संख्या 1 व पार्टी संख्या 2 के पक्षकार व अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं।

थानाधिकारी पुलिस उदयमंदिर जोधपुर ने एक इस्तगासा गैरसायल पाटी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है गैर सायल पार्टी संख्या 1 व 2 श्रीमान् की न्याय सीमा क्षैत्राधिकार के निवास करते है। विावदग्रस्त मुतनाजा भूमि वाके ओल्ड पब्लिक पार्क राईका बाग जोधपुर जो श्रीमान् के न्यायिक क्षैत्राधिकार में स्थित है। यह है कि आज दिनांक 15.02.1989 तक 2:45 बजे रात्री में पाटी नं. 1 परिवादी श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह कौम राजपुत निवासी ओल्ड पब्लिक पार्क राईका बाग जोधपुर ने हाजिर थाना होकर लिखित आवेदन इस मजमून का पेश किया कि ओल्ड पब्लिक पार्क में मेरा कब्जा सुदा प्लॉट 30X149 जो भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम डिपो के बीच में स्थित है। उत्तर में रेलवे की लाईन ही इस प्लॉट पर 1971 में मेरा कब्जा ही इस पर हमारे दो कमरे गायो के ठांव व हत्था बना हुआ है। इन प्लॉट में हमारी गाये और भेसे बांधी जाती है और हमारे आदमी निवास करते है। आज रात 11:30 बजे बाघसिंह मय करीब 20–25 आदमियो के लाठी व हथियार से लैस होकर आया व उसने हमारे प्लॉट का हत्था तोड़ दिया उस वक्त मेरे आदमी सवाईसिंह,

गणपतसिंह, रूघनाथसिंह, भगवानसिंह कमरो में सोये हुए थे इन आदमियो ने हमलावरो को तोड़–फोड़ करने से रोका तो बाघसिंह ने रूगनाथसिंह को थपड़ो के मारपीट कर गिरा दिया। मेरे आदमियो का सामान व गाये व भैंसिया अपने साथ ले गये। आवाज सुनकर कर्नल बाघसिंह एवं उम्मेद भवन के नौकर को कानून हाथ में न लेने की सलाह से बगैर रिपोर्ट कर मुकदमा नम्बर 59 दिनांक 15.02.1989 धारा 147, 148, 149, 427, 440, 379 आई.पी.सी. में दर्ज कर तफतीश हवाले एएसआई श्री बजरंगसिंह के की गयी। दौराने तफतीश निरीक्षक घटना स्थान किया। हासला तफतीश से यह पाया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर पार्टी नं. 1 जो 1971 से काबिज होना बताता है। पार्टी सं. 2 श्री बाघसिंह जो जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा के कामदार है जो उक्त भूमि जोधपुर दरबार श्री की होना बताते है। मगर दोनो पक्षो द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि प्लॉट पर अपना–अपना कब्जा बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। ऐसी सूरत में विवादग्रस्त भूमि का तुरन्त सामाधान करना असम्भंव है। यह है कि दोनो पक्ष गैर सायलान् पार्टी नं. 1 व 2 उक्त विवादग्रस्त भूमि के विवाद को लेकर दोनो में तनाव बना हुआ है जो अपना–अपना उक्त प्लॉट पर अधिपत्य मानकर एक दुसरे को बेदखल करेगे। जिससे अशांति का वातावरण पैदा होकर मारपीट, खून खराबा होकर संगीन अपराध काबिज दंखल अदांजी होने की पूर्ण सम्भांवना है। यह है कि दोनो ही पक्षकार एकी वर्ग व शक्तिशाली व प्रभावशील है जो अपने–अपने प्रभाव व अहम शक्ति द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अपना–अपना कब्जा करने के लिए उतेजित है। अतः इस्तगासा हाजा तहत धारा 145 सीआरपीसी के तहत गैर सायल पार्टी नं. 1 राजेन्द्रसिंह व पार्टी नं. 2 बाघसिंह वगैरा के विरूद्ध पेश कर अर्ज है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि को तुरन्त प्रभाव से कुर्क करने का आदेश करवाकर ताफैसला अदालत दोनो पार्टीज को विवादग्रस्त भूमि के बेदखल रहने का आदेश फरमावे ताकि मौके की स्थिति पर शांति व्यवस्था बनी रहे। ताकि इस प्लॉट के विवाद को लेकर काबिज दस्तान जुर्म पारित न हो।

गैर सायलान् पाटी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है कि पार्टी नं. 1 का एक कब्जा सुदा जायदाद ओल्ड पब्लिक पार्क के पास आई हुई है जिसके पड़ौस जवाब में दर्शाये गये है। पार्टी नम्बर एक का उपरोक्त नाप व हदूद के भूखण्ड पर सन् 1971 से लेकर दिनांक कब्जा लेने रिसीवर यानि दिनांक 18.02.1989 तक लगातार शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। पार्टी नं. 1 का उपरोक्त हदूद के भूखण्ड पर दो कमरे बने हुए है। एक कमरा दक्षिण एवं दूसरा कमरा पश्चिम, उत्तर की तरफ। दक्षिण के पास बने कमरे के पास ही जायदाद के अन्दर आने जाने का रास्ता व मुख्य द्वार है तथा भूखण्ड पर पार्टी नं. एक के मवेशियों (गाये व भैसियो) के लिए चारा आदि डालने के लिए ठांव तथा पानी के हौद व चौकिया बनी हुई है। उक्त जायदाद पर पार्टी नं. 1 मालिक काबिज सन् 1971 से लगातार चला आ रहा है। तथा पार्टी नम्बर एक की गाये भैसिया रखी जाती है तथा डेयरी का कारोबार उक्त प्लॉट पर चल रहा है एवं प्लॉट पर बने कमरो में प्रार्थी का व प्रार्थी के आदमियो की डेयरी पर कार्यरत है का घरेलू सामान, खाटें चारपाईया, बिस्तर, बर्तन आदि पडे तथा उक्त कमरो में रहते है। पार्टी नं. एक के उक्त बने ठावों की स्थिति सलंग्न फोटोज से स्पष्ट है। पार्टी नं. एक का उक्त प्लॉट पर छीणों का हत्था चारदिवारी

बना हुआ है पार्टी संख्या दो का उपरोक्त हदूद के भूखण्ड पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है न ही दिनांक 14–15 फरवरी 1989 को या उससे दो माह पूर्व या कभी कोई कब्जा पार्टी नं. दो का नहीं रहा। पार्टी नं. 1 सन् 1971 से लेकर तारीख कब्जा लेने रिसीवर तक लगातार शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी रोक टोक के उपरोक्त हदूद के जायदाद पर वास्तविक रूप से भौतिक रूप से काबिज मालिक चला आ रहा है। सन् 1971 से आज दिन तक तथा महाराजा श्री उम्मेदसिंह जी रिलिजियस ट्रस्ट या उनके किसी ट्रस्टियों का विवादित जायदाद पर किसी प्रकार कब्जा नहीं रहा है और न ही वादग्रस्त भूखण्ड या उसके किसी भी हिस्से को सन् 1971 से आज दिन तक किसी ने भी रास्ते के रूप में काम में लिया है और न ही वादग्रस्त भूखण्ड पर कोई कभी रास्ता रहा हो। विवादित भूखण्ड पर पार्टी नं. एक व उसके आदमी तथा मवेशी दिनांक 14.02.1989 से 15.02.1989 की रात्री के दरम्यान काबिज थे। पार्टी नम्बर एक ने स्वंय ने अपने मवेशी एवं जायदाद पर रखा सारा सामान रात्री के दौरान करीबन 9 बजे दिनांक 14.02.1989 को अपने आदमियो को जिसमें श्री रूघनासिंह, सवाईसिंह, गनपतसिंह, भगवानसिंह आदि थे उसके भरोसे छोड़कर अपने रहवासी मकान को गया। अप्रार्थी पार्टी नं. 1 के उक्त भूखण्ड पर गायें थी जो भूखण्ड पर बने ठावो में चर रही थी। भूखण्ड पर बने कमरो में प्रार्थी के आदमी रात्री में रह रहे थे एवंम वादग्रस्त भूखण्ड पर बने मुख्य द्वार को दरवाजा लगा कर बन्द किया हआ था। उस समय यानि कि दिनांक 14.02.1989 को रात्री के करीबन 11:30 बजे पार्टी नम्बर दो बाघसिंह करीबन 20–25 आदमियो को लाठीयो व हथियारो से लैस कर पार्टी नम्बर एक के उपरोक्त हदूद की जायदाद पर आया एवंम पार्टी नम्बर एक के कब्जा सुदा उपरोक्त हदूद की जायदाद पर बने कमरो तथा चारदिवारी तोड़ने लगे एवंम पार्टी नम्बर एक के आदमियो के साथ मारपीट करना शुरू की तथा भूखण्ड पर रखे सामान चारपाईया, बिस्तर, टेप रिकॉर्डर आदि की क्षति पहुॅचाई एवंम उठा कर ले गये। हल्ला सुनकर पास में रह रहे कर्नल मेघसिंह दोड़ कर मौके पर गराये एवंम उन्होने पार्टी नम्बर दो बाघसिंह व उनके आदमियो को तोड–फोड़ न करने के लिए कहा व कानून हाथ में न लेने की सलाह दी इतने में श्री दुर्गसिंह जी भी मौके पर आ गये एवंम पार्टी नम्बर एक भी समय मौके पर पहूॅच गई थी। एवंम पार्टी नम्बर दो बाघसिंह व उनके आदमियो द्वारा तोड फोड की जा रही को रूकवाने के लिए पार्टी नम्बर एक ने पुलिस कन्ट्रोल रूप को टेलिफोन किया जिस पर कुछ ही समय में पुलिस आ गई। मौके पर पार्टी नम्बर दो बाघसिंह के जो आदमी भाग नहीं सके उन्हे पुलिस ने पकड़ लिया एवंम पार्टी नम्बर दो बाघसिंह व उसके कुछ आदमी भागने मे सफल हो गये। तथा पार्टी नम्बर एक के आदमी श्री रूघनाथसिंह के रूपये तथा जायदाद पर से बिस्तर व चारपाईया पार्टी नम्बर दो बाघसिंह व उसके आदमी चुरा कर ले गये। पार्टी नम्बर दो बाघसिंह ने उनक आदमियो ने उपरोक्त वर्णित अनुसार दिनांक 14.02.1989 को रात्री है के 11:30 बजे के आस–पास विवादित भूखण्ड पर तोड फोड कर जायदाद पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया जिसका मुकदमा पार्टी नम्बर एक ने दो व उसके आदमियो के विरूद्ध पुलिस थाना उदयमंदिर में दर्ज करवाया जो अभियोग संख्या 59 दिनांक 15.02.1989 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149ख 427, 447, 440, 379 आई.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया एवंम तफतीश जारी है। पुलिस थाना उदयमंदिर ने विवादित भूखण्ड पर पार्टी नम्बर 1 के बने

कमरे, चादिवारी व अन्य ठांव मवेशियो के चारे के ठांव चबूतरा व विवादित भूखण्ड पर पार्टी नम्बर एक के अन्य सामान के सम्बंधं में पार्टी नम्बर दो द्वारा उनके आदमियो के द्वारा विवादित भूखण्ड पर जो गैर कानूनी कार्यवाही की के तुरन्त बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया एवं फर्द बनाई जो पत्रावली पर विद्यमान है जिसे स्पष्ट है कि विवादित जायदाद पर पार्टी नम्बर एक का कब्जा वास्तविक व भौतिक रूप से 1971 से लेकर तारीख कब्जा लेने रिसीवर द्वारा यानि 18.02.1989 तक लगातार है। दिनांक 18.02.1989 को माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये रिसीवर ने विवादित भूखण्ड का कब्जा पार्टी नम्बर एक के पिता से लिया यह तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध है। विवादित जायदाद के आस–पास सन् 1971 से आज दिन तक कोई जगतसिंह के नाम का आदमी कोई नहीं रहा और न ही हिन्दूस्तान पेट्रोलिया या भारत पेट्रोलियम आदि ने सन् 1971 से आज दिन तक विवादित जायदाद से अपने टैंक आदि ले गये। भारत पेट्रोलियम व हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कही अलग–अलग परिसरो में अलग अलग रास्ते है उनका पार्टी नम्बर एक के कबजा सुदा भूखण्ड से कोई सरोकार नहीं है। पार्टी नम्बर दो बाघसिंह ने न्यायालय में जवाब पेश कर यह जाहिर किया कि वह विवादित भूखण्ड पर अपना कब्जा क्लेम नहीं करता है और ही उसका कभी कब्जा रहा है तथा नही कब्जा लेना चाहता है। यह तथ्य स्पष्ट जवाब में दर्ज किये है। ऐसी स्थिति में चूंकि मामला पार्टी नम्बर एक व दो के बीच ही है एवं पार्टी नम्बर दो कब्जा क्लेम नहीं करती है ऐसी स्थिति में अब पार्टी नम्बर दो से कोई तनाव नहीं है एवं पार्टी नमबर एक का विवादित भूखण्ड पर सन् 1971 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में पार्टी नम्बर एक को विवादित भूखण्ड पर काबिज होने व पार्टी नम्बर एक कब्जा होने का डिक्लेयर किया जावें।

अन्त में पार्टी नम्बर एक ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पार्टी नम्बर एक राजेन्द्रसिंह को विवादित भूखण्ड पर काबिज होने व उसका वास्तविक कब्जा उस पर होने का न्यायालय डिक्लेयर करे एवं रिसीवर को यह आदेश दिया जावे कि विवादित जायदाद पार्टी नम्बर एक को वापिस कब्जा सौपे।

गैर सायल पार्टी संख्या 2 की ओर से जवाब इस प्रकार है कि मुझ पार्टी नम्बर दो का व पार्टी नम्बर एक का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। न ही पार्टी नम्बर दो का इस भूमि को अपने कब्जे में करने का कोई इरादा हैं अलबता पार्टी नम्बर एक विवादग्रस्त भूमि पर जोर जबरदस्ती से नाजायज तौर पर अपने कब्जे में करने को आमदा है और यह भूमि हिज हाईनेस महाराज उम्मेदसिंह रिलीजियस ट्रस्ट द्वारा अपने किराये द्वारो के उपयोग व उपभोग के लिए छोडी हुई है व ट्रस्ट के गार्ड व अन्य कर्मचारी पार्टी नम्बर एक को नाजायज कब्जा करने व निर्माण कार्य करने में रूकावट कर रहे है जिस बात को लेकर भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। मुझ पार्टी नम्बर दो को रंजिश व दुश्मनी के कारण ही झुठे आरोप लगाकर पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा पार्टी नम्बर दो के विरूद्ध यह कार्यवाही समाप्त फरमाई जावें। पार्टी नम्बर एक को नाजायज कब्जा न करने व निर्माण कार्य करने से रोका जावे अन्यथा शांति भंग होने की हरक्षण पूरी–पूरी संभावना है।

उक्त प्रकरण में दिनांक 11.04.1989 को प्रार्थी महाराजा प्रहलादसिंह पुत्र श्री हनुवंतसिंह, जनरल मेनेजर माहाराज श्री उम्मेदसिंह रिलिजीयस ट्रस्ट उम्मेद भवन पैलस जोधपुर की ओर से एक प्रार्थना पत्र उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार किया जाकर पार्टी संख्या 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया।

गैर सायल पार्टी संख्या 3 महाराज श्री उम्मेदसिंह जी रिलिजीयस ट्रस्ट उम्मेद भवन पैलेस की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि उपरोक्त प्रकरण में मान्य न्यायालय द्वारा अभियोग अन्तर्गत धारा 145 सी आर पी सी पंजीबद्ध किया गया उस प्रिलिमनरी आदेश की एक प्रति वादग्रस्त सम्पति पर चस्पा की गयी। चूंकि विवाद ग्रस्त भूमि हिज हाईनेस महाराज श्री उम्मेदसिंह रिलिजीयस ट्रस्ट की सम्पति है एवं ट्रस्ट के अधिपत्य एवं स्वामित्व व कब्जे में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादग्रस्त सम्पति उक्त ट्रस्ट की सम्पति है और उस भूमि के साथ–साथ पास की भूमियो का एक ट्रस्ट राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड है तथा देव स्थान विभाग से इसका प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है जो कि इस उत्तर के साथ सलंग्न है। इसके साथ–साथ ट्रस्ट की सेटलमेंट डीड दिनांक 27.03.1971 को निष्पादित की गयी उसकी भी प्रति इस उत्तर के साथ में सलंग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि यह सम्पति ट्रस्ट की सम्पति है और उस पर उसके अन्य भागो पर ट्रस्ट के किरायेदार है ओर ट्रस्ट की उनसे किराये वसूल कर रसीदे जारी करती है। तथा विवादग्रस्त भूमि ट्रस्ट में किरायेदारो के रास्ते एवं गली के रूप में उपयोग उपभोग लेने के लिए ट्रस्ट के समय से रखी है जो तथ्य सम्पति के नक्शे से स्पष्ट प्रमाणित होता है। नक्शे की एक प्रति सलंग्न की जा रही है। ट्रस्ट की भूमि का कुछ भाग ड्रमर्स इत्यादि रखने हेतु अस्थाई तोर पर श्री जगतसिंह ने काम में लिया था और इस उपयोग व उपभोग हेतु रूपये 200 प्रतिवर्ष के हिसाब से ट्रस्ट को दिनांक 24.09.1978 से दिनांक 19.04.1984 तक के जरिये चैक नम्बर 033972 दिनांक 20.09.1979 व चैक नम्बर 924890 दिनांक 20.09.1984 पंजाब एण्ड सिंध बैंक चौपासनी रोड जोधपुर के जरिये अदा किये थे। इस बारे में रसीदात् उपलब्ध हुई है उनकी व ट्रस्ट में किरायेदारो के लेजर की प्रति इस उत्तर के साथ सलंग्न है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी नम्बर एक का यह कथन सर्वथा मिथ्या एव आधार हीन है वह इस सम्पति पर 1971 से ही काबिज है। सही तथ्य यह है कि विवादग्रस्त भूमि अवलोकन से मात्र स्पष्ट तथा ट्रस्ट की ही भूमि का भाग है और ट्रस्ट द्वारा ही अपने किरायेदारो के उपयोग उपभोग हेतु गली के रूप में छोड़ी हुई है और उसी नाम ली जाती रही है। यहां यह लिखना भी अनिवार्य होगा कि इस भूमि के एक और कालटैक्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा दूसरी और वर्मा सेल वर्तमान में भारत पेट्रोलियम के किराये है और उसके बड़े बड़े टैंकर उसी भूमि में से होकर किरायेदारी की भूमि को जाते है व अन्य किरायेदार भी इस भूमि को रास्ते की भूमि के रूप में काम में लेते है। पार्टी नं. 1 व 2 का कभी भी ट्रस्ट द्वारा छोड़ी गई भूमि पर किसी प्रकार का कोई वास्तविक कब्जा नहीं था। अलबता पार्टी नम्बर एक का इरादा इस भूमि को येन केन प्रकारेण दिनांक 15.02.1989 को अपने कब्जे में लेने का था लेकिन चूंकि ट्रस्ट की ओर से गार्ड इत्यादि मौके पर मौजूद होने से वो अपने इरादे में सफल नहीं हो सके और भारी तनाव की स्थिति हो गयी है। पार्टी

संख्या एक हर क्षण की कोशिश में है कि व इस जमीन पर नाजायज कब्जा बना कर तामीर बनाले लेकिन ट्रस्ट उसे इस विवादग्रस्त गली में कब्जा करने में एवं दखलअदांजी करने में रूकावट कर रहा है व ट्रस्ट इसे किरायेदारो व अन्य लोगो के आवागमन हेतु ही रखना चाहता है। इसी कारण मौके पर गली में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है अन्यथा पार्टी नं. 1 के पास इस भूमि के बारे में कोई लीज, लाईसेन्स अथवा हस्तान्तरण का कोई अभिलेख नहीं है और न ही कब्जे का कोई पुख्ता सबूत ही है। इस भूमि में भारत पेट्रोलियम द्वारा दीवार उपर उठाने हेतु कुछ तामीर कार्य का सामान पड़ा है जिसे तोड फोड से एकत्रित हआ सामान पार्टी नं. 1 ट्रस्ट के कर्मचारियो एवं सहयोगियो पर अन्य लोगो पर महत् दुश्मीन से फौजदारी अभियोग चलाने पर आमदा है वह इसी दबाव में ट्रस्ट द्वारा किरायेदारो के लिए छोडी यी गली पर नायाजय कब्जा करना चाहता है। वास्तव में यह भूमि ट्रस्ट द्वारा अपने किरायेदारो के प्रयोग व उपयोग के लिए गली के रूप में काम में लेने के लिए छोड़ी गयी भूमि है उसी के काम में ली जा रही की तारीख तक चली आ रही है। पार्टी नम्बर दो का इस विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार कभी भी कब्जा नहीं था ओर पार्टी नम्बर एक कानून को हाथ में लेकर जान व माल की हानि पहूँचा कर विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है। जिससे उसे तत्काल रोका नहीं रोका गया तो ट्रस्ट को भारी हानि होगी व ट्रस्ट के किरायेदार इस भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेगे।

अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पार्टी नम्बर एक को उक्त भूमि में प्रवेश करने व तामीर कार्य करने से अविलम्ब रोका जावे तथा विवादित भूमि को गली के रूप में काम में लेते रहने के आदेश पारित किये जावे व पार्टी नम्बर एक को दिवानी न्यायालय में अपने हक व अधिकार के निपटारे हेतु निर्देश पारित किया जावें।

सायलान् की ओर से उक्त इस्तगासा के साथ निम्न दस्तावेजात्:– प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो कॉपी, नक्शा मौका फर्द, मुआयना मौका फर्द, बयान गवाहान् बजरंगसिंह एएसआई, लक्ष्मीनारायण सीआई एसएचओ उदयमंदिर, राजेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह कौम राजपुत, निवासी– ओल्ड पब्लिक पार्क राईका बाग, जोधपुर। कुर्की वारंट प्रस्तुत किये।

गैर सायल पार्टी संख्या 1 की ओर से निम्न दस्तावेजात एवं गवाह बयानात्:– विवादित भूखण्ड पर पार्टी नं. 1 के ने कमरो व चारदिवारी तथा मोके के फोटोग्राफस कुल 1 से 4 प्रस्तुत किये। गवाहान में 1. राजेन्द्रसिंह, 2. कर्नल मेघसिंह, 3. दुर्गसिंह, काशीनाथ के बयानात् लिपिबद्ध गये।

गैर सायल पार्टी संख्या 2 की ओर से दस्तावेज पेश नहीं किये। लेकिन पार्टी नम्बर संख्या 2 बाघसिंह के बयान लिपिबद्ध किये गये।

गैर सायल पार्टी संख्या 3 की ओर से निम्न दस्तावेजात एवं बयानात्:– 1. देवस्थान विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 02.05.1974, 2. ट्रस्ट की सेटलमेन्ट डीड दिनांक 27.03.1971, 3. ट्रस्ट द्वारा जारी की गई रसीद सं. 4293

दिनांक 28.12.1979, 4. रसीद संख्या 5799 दिनांक 20.06.1984, ट्रस्ट के लेजर की नकल जिसमें किराय जमा होने का इन्द्राज दिनांक 19,20.08.1989, 5. नक्शे की नकल दिनांक 27.03.1971 प्रस्तुत किये। गेर सायलान् पार्टी संख्या 3 ने बयान गवाहान्:– 1. प्रहलादसिंह, 2. शीशपालसिंह का शपथ पत्र व बयान, 3. जगतसिंह लिये गये।

एस.एच.ओ. उदयमंदिर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर की ओर से उक्त प्रकरण में वर्तमान रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो इस प्रकार है कि परिवार अन्तर्गत धारा 145 सीआपीसी प्रार्थी श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह, जाति राजपुत, श्री बाघसिंह पुत्र श्री राजूसिंह वगैरा के विरूद्ध विचाराधीन ओल्ड पब्लिक पार्क स्थित प्लॉट सं. 30 गुणा 149 जो भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के बीच स्थित है इस प्लॉट के विवाद के सम्बंधं में श्रीमान् द्वारा मौका की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2016 को पेश करने का फरमाया गया। जिस पर श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह के निवास स्थान पर जाकर पता किया तो उनके पुत्र भानुप्रताप सिंह मिले जिन्होने बताया कि उक्त विवादित भूखण्ड की जानकारी मेरे पिता राजेन्द्रसिंह जी को थी मगर उनका देहान्त वर्ष 2015 में हो चुका है। और बाघसिंह का भी देहान्त हो चुका है। उक्त विवादित भूखण्ड की जानकारी उन्हीं को थी दोनो की मृत्यु हो चुकी है। आईन्दा अपने अधिवक्ता से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करके माननीय न्यायालय व थाना को रिपोर्ट पेश कर दूंगा। उक्त विवादित भूखण्ड की वस्तुस्थिति की जानकारी चाही गई। दोनो पक्षों की मृत्यु होने की जानकारी प्राप्त हुई है। आर्शदा राजेन्द्रसिंह के पुत्र भानुप्रतापसिंह द्वारा विवादित भूखण्ड को सही जगह की जानकारी देने पर मौका रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। अतः रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवा में पेश है।

आदेशिकाओं के अवलोकन से पाया जाता है कि गैर सायलान् पार्टी नं. 1 व 2 दिनांक 12.04.2013 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। ऐसी अवस्था में पक्षकारों की ओर से किसी प्रकार की बहस नहीं की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं पूर्व में पक्षकारो की ओर से प्रस्तुत मौखिक गवाहो के द्वारा दिये गये बयानो के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

हमने प्रस्तुत इस्तगासा, जवाब पार्टी सं. 1, 2 व 3, एस.एच.ओ. की रिपोर्ट, गैर सायलान् पार्टी नं. 1, 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत गवाहो के बयानात्, दस्तावेजात् का अध्ययन कर विचार किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमंदिर द्वारा इस्तगासा पेश करने के पूर्व ओल्ड पब्लिक पार्क के पास राईका बाग प्लॉट पर किस पक्षकारान् का कब्जा था। उक्त प्लॉट के कब्जे के सम्बधं में गैर सायलान् की ओर से अपने–अपने बयानात् दिये गये। गैर सायलान् पार्टी सं. 1 के बयानात् अनुसार कथन किया कि ओल्ड पब्लिक पार्क एरिया में उसका एक प्लॉट कब्जा सुदा 30 बाई 149 आया हुआ है जिसके पूर्व में भारत पेट्रोलियम व पश्चिम में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम उत्तर में रेलवे लाईन व दक्षिण में रास्ता गली है आगे बताया कि उसका इस प्लॉट पर कब्जा सन् 1971 से है। रेलवे लाईन की तरफ दीवार है उक्त पेट्रोल पम्पो के दरवाजे उक्त प्लॉट के तरफ खुलते है। प्लॉट पर एक कमरा

उत्तर पश्चिम कोने में दूसरा दक्षिण पूर्व कोने पर बना हुआ एवं मैन गेट पर दरवाजा लगा हुआ है। उसके आदमी व गाये बांधते हे। उक्त प्लॉट के बारे में बाघसिंह व उसके आदमी मेरे पास आये थे। कहां कब्जा हटाओ फिर बात करेगे। प्लॉट पर महाराजा श्री उम्मेदसिंह ट्रस्ट का न तो कभी कब्जा रहा ओर नहीं कोई आया जगतसिंह व्यक्त को कभी भी किरायेदार पर कभी नहीं रखा। दिनांक 14.02. 1989 को विवादग्रस्त प्लॉट पर झगड़ा हुआ था। विवादग्रस्त प्लॉट पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का कोई गेट नहीं है। ट्रस्ट विवादग्रस्त भूमि का कब्जा मानता है जबकि मै यह प्लॉट मेरा कब्जा सुदा मानता हूँ इसी बात का विवाद है।

पार्टी संख्या 1 के दुसरे गवाह कर्नल मेघसिंह ने अपने बयानो में बताया कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम व कालटेक्स के बीच एक गली है जहां दुर्गसिंह व उसका लड़का राजेन्द्रसिंह की गाये बंधती है। कालटेक्स को अब भारत पेट्रोलियम कहते है। यह गली 30–35 फुट चोडी एवं लम्बी 150–160 फुट होगी। जनवरी 1972 से गाये बाधंते देखा था 1972 में कच्चे छपरे बने हुए थे 1975 गली में नोर्थ वेस्ट में छीणे लगी हुई कमरा देखा था जिन सीमेंट के पतरे लगे हुए थे। 1978 में गली के दक्षिण में एक कमरा ओर बनाया। प्रवेश द्वार दक्षिण में है जहां फाटक चढी हुई थी उत्तर में 4–5 फीट उॅची दीवार है व आगे रेलवे लाईन है। डेयरी में इनके नौकर रहते थे। भगवानसिंह व गायडसिंह पहिले भी न अभी भी है। गायो के पानी पीने की कुण्डी बनी हुई थी चार डालने के ठाव भी बने हुए थे। बाधसिंह दरबार के पैलेस में ऑफिसर का काम करता है उसका इस प्लॉट पर कोई कब्जा नहीं था। बाघसिंह ने मुझे 3–4 बार कहां की दुर्गसिंह को कहो कि सुन्दर बन्ना ने कहा कि या तो कीम दे दे या कब्जा छोड़ दे ताकि हम बैच देवे। सुन्दर बन्ना ने मुझे पैलेसे में बुलाया कहा कि हमे कीमत दे दे और कब्जा रहे हमे एतराज नही है मैने उक्त बात को दुर्गसिंह को कही तो उसने कहा कि मुझे टाईटल दे दो तो मे 30 हजार रू. दे दुगा। उन्होने कहा कि टाईटल हम नहीं दे सकते। क्योंकि यह ट्रस्ट की भूमि है। 13.02.1989 को राजेन्द्रसिंह को मैने पैलेस भेजा। वहां उक्त प्लॉट की बात की। लेकिन दिनांक 14.02.1989 को सोया हुआ था तब तोड़–फोड़ करने की आवाज सुनाई दी। मै दोड़कर प्लॉट पर गया तो प्लॉट पर बाघसिंह खड़ा था। विवादित जमीन ट्रस्ट की है यह बात बात मुझे सुन्दर बन्ना ने बतायी थी।

पार्टी संख्या 1 के तीसरे गवाह श्री दुर्गसिंह ने अपने बयानो में बताया कि राजेन्द्रसिंह मेरा लड़का है। झगड़ा वाला प्लॉट पुराना पब्लिक पार्क में आया हुआ है पूव्र में भारत पेट्रोलियम डिपो, पश्चिम में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम उत्तर में रेलवे लाईन दक्षिण में खुला रास्ता है। प्लॉट का माप 139 लम्बा व 40 फीट चौड़ा है। इस प्लॉट पर 1971 से मेरे लड़के राजेन्द्रसिंह का कब्जा है। वहां पर डेयरी का काम होता था गाये भेसे भी रखते थे जिसके उत्तर में एक कमरा व एक कमरा दक्षिण की तरफ था गायो के ठाण थे चौकिया व पानी पिलाने की हौदिया बनी थीं दक्षिण में फाटक लगी हुई थी 14 फरवरी 1989 की रात को बाघसिंह जो दरबार के यहा नौकरी करता है 20–25 आदमियो से लेस करके लेकर प्लॉट पर आया ओर तोड़ फोड़ की। भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की जमीन महाराजा उम्मेदसिंह रिलिजियस ट्रस्ट की है या नहीं मुझे पता नहीं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के दक्षिण में एक गली व उसके बाद दक्षिण की तरफ मकानात आये हुए है। इन मकानात् के

दक्षिण में सड़क है व सड़क के दक्षिण में मेघसिंह का मकान है। विवादित जमीन के उत्तर में दरवाजा हो व पावडियो लगे हो तो मुझे पता नहीं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियम के दक्षिण में मकानो की जमीन पैलेसे वालो ने बेची या किसने बैची मुझे पता नहीं। विवादित जमीन मालिक महाराज श्री उम्मेदसिंह जी रिलिजियस ट्रस्ट होने की बात गलत है। यह दोनो डिपो के बची एक गली है।

पार्टी संख्या 1 के गवाह श्री काशीनाथ ने अपने बयानो में कथन किया कि मै पढ़ा लिखा नी हूँ राजेन्द्रसिंह को नहीं जानता हूँ उसका नाम नहीं जानता हूँ पहली बार ही मिला था वही खड़ा था इसलिए जानता था कि राजेन्द्रसिंह का ही नौकर होगा। मैं अकेला ही चोकीदार हूँ। उसकी 24 घंटे डयूटी रहती है। इस प्लॉट पर गाये भैसे कब से रखते है मुझे पता नहीं। दो साल पहिले में डिपो के पीछे चौकीदार की नौकरी करता था। वहां झगडा होने व पुलिस आने का मुझे पता नहीं है।

पार्टी संख्या 2 ने अपने बयानो में कथन किया कि नक्शा एक्स एनए–3 के भाग एबीसीडी पर मुझे कोई कब्जा नहीं करना है ओर न कभी इरादा किया। यह भूमि महाराज श्री उम्मेदसिंहजी रिलिजियस ट्रस्ट की भूमि गली के रूप में है यह गली ट्रस्ट के प्लॉटो के किरायेदारो व अन्य के आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग में आती है। 15.02.1989 को मैने कोई कब्जा करने की कोशिश नहीं की। रात्रि में मुझे पता चला कि राजेन्द्रसिंह इस गली पर कब्जा करना चाहते है। तब मोके पर चोकीदार लगाये व मुझे भी यह काम संम्भालने का आदेश ट्रस्ट के अधिकारियो ने दिये। मैं मौके पर गया तो मौके पर यथास्थिति होना पाया गया। चौकीदार को कहा कि आप निगरानी करके रखना। मौके तब कब्जा किसी अन्य ने नहीं किया। भूमि पर अभी चस्पा कुर्की बाबत् लगा हुआ है।

पार्टी संख्या 3 की ओर से प्रहलादसिंह ने अपने बयानो में कथन किया कि मैं महाराज श्री उम्मेदसिंह जी रिलिजियस ट्रस्ट में जनरल मैनेजर के पद पर कार्य करता हूँ। जवाब ईएक्स एन ए 3/1 मेकरी निगरानी में तैयार किया गया था और ट्रस्ट के मुकदमे की वस्तुस्थिति इसमें दर्ज है। ट्रस्ट का रजिस्टर प्रमाणित ईएक्स एन ए 3/2 मैने पेश किया था यह रेकर्ड अनुसार सही है। इस ट्रस्ट को इनकम टैक्स कमिश्नर के यहां भी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है जो ईएक्स एन ए 3/3 है। ट्रस्ट डीड 27.03.1971 ईएक्स एन ए 3/4 है जो रेकर्ड अनुसार सही है वो मैने पेश किया है। ट्रस्ट डीड के साथ नक्शा जो ईएक्स एन ए 3/5 है इस ट्रस्ट की भूमि जो भागो में भाग एबीसीडी यानि कालटैक्स व बर्माशैल के बीच की गली है। कालटैक्स व बर्माशैल का वर्तमान नाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियम कमश है उनको किराये दिये हुए है। यह गली किरायेदारो के उपयोग हेतु छोड़ी हुई है इस गली में पहिले जिन्हें इस भूमि पर गाये व बैल गाड़िया खडी की उनसे चार्जेज लिये थे जिसका दस्तावेज ईएक्स एन ए 3/6 है गली की साईड में थेले व ड्रम रखते थे जिसके भी चार्जेज लिये थे। गली में आवागमन रूकता नहीं है और साईड में अस्थाई समय के लिए इजाजत दी गयी थी। दूसरा जवाब दिनांक 11.04.1989 को पेश किया जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है जो ईएक्स एन ए 3/7 है इसके साथ शपथ पत्र भी दिये है। इस गली एबीसीडी पर किसी का कभी भी कब्जा ट्रस्ट

के अतिरिक्त नहीं था। ट्रस्ट इसे किरायेदारो के आवागमन के उपयोग में लेने हेतु खली रखना चाहता है। गैर सायल राजेन्द्रसिंह का व उनके आदमी का कब्जा न तो कभी था और न है और नही दिनांक 15.02.1989 को मुझे रिपोर्ट मिली की एबीसीडी भाग पर कब्जा करने की कोशिश करेगे।

पार्टी संख्या 3 की ओर से दुसरे गवाह शीशपालसिंह ने अपने बयानो में बताया कि भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के बीच में जो एबीसीडी मार्क है वही रास्ता है। इस गली पर ट्रस्ट के अलावा किसी का कब्जा नहीं देखा व राजेन्द्रसिंह का कब्जा नहीं करने दिया।

पार्टी संख्या 3 के ओर से तीसरे गवाह जगतसिंह ने अपने बयानो में कथन किया कि बर्माशैल कम्पनीज को जानता हूँ बर्माशैल का अब नाम भारत पेट्रोलियम व कालटैक्स का हिन्दुस्तान पेट्रोलियम हो गयां राईका बाग पर आया हुए है जो 25–27 साल से लगे हुए है वो हमारी फर्म का रास्ता रहा है। मेरे खुद का आना जाना 1970 से है। भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के बीच में 30 फुट की गली है बर्माशैल के दक्षिण में 30 फुट चोडी गली व 200–250 फुट लम्बी भूमि है। इस गली में मेरे ड्रम रखने के लिए व अन्य सामान रखने के लिए वर्ष 1978 से उम्मेदसिंह रलिजियस ट्रस्ट से किराये पर ली थी ट्रस्ट इसका किराया लेता था। रास्ता चालु रहता था। दोनो डिपो के बीच की गली मुझे किराये पर दे रखी थी। दोनो डिपो का दरवाजा इस भूमि की तरफ खुलता था। उस ऑफिस के जाने के लिए गली विवाद ग्रस्त के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह गली पैदल आने जाने के काम आती थी व मेरा सामान भी पड़ा रहता था डिपो के आदमी ज्यादातर आने जाते रहते थे। रेलवे के लोग भी आते जाते रहते थे। गली खुली है आने जाने के काम आती थी। गली में कोई कमठा कमरे आदि नहीं बने हुए थे और न ही गेट लगा हुआ था। विवादग्रस्त गली में कोई ठांव बने हुए मैने नहीं देखे। उक्त गली मैने किराये पर ली थी। मैने उक्त बयान पैलेस वालो के कहने पर नहीं दिये है।

इस्तगासा, जवाब एवं उपरोक्त समस्त गवाहो के बयानो के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के बीच ओल्ड पब्लिक पार्क के पास स्थित प्लॉट 30X149 जिसका मुख्य विवाद है। उक्त प्लॉट नहीं होकर वास्तव में यह रास्ता के उपयोग में आ रहा था। रास्ते पर असामजिक तत्वो ने अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास किया। उक्त रास्ते की भूमि पर गैर सायल पार्टी नं. 1 व 2 ने निर्माण कार्य करने के कारण विवाद बढ़ा व मौके पर शांति भंग होने की अवस्था में उक्त विवादित भू–भाग को कुर्क कर कब्जा रिसीवर थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमंदिर जोधपुर को सुपुर्द किया गया। सभी गवाहो ने अपने बयानो में बयान दिये कि उक्त भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है। गैर सायलान् पार्टी नं. 1 व 2 का इस रास्ते की भूमि पर कब्जे के सम्बंधं में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रस्तुत गवाहो के बयानो से तो उक्त विवादित भूमि रास्ते की भूमि ही साबित होती है। उक्त भूमि पर महाराज उम्मेदसिंह रिलिजियस ट्रस्ट के किरायेदार एवं भारत पेट्रोलियम एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के कर्मचारियों व आम नागरिकों के आने जाने के लिए रास्ते

के रूप में ही उपयोग आ रही थी। गैर सायलान् के मध्य उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किये जाने की परिस्थितियों के कारण शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उक्त भू–भाग को कुर्क किया गया था। चूंकि वर्तमान में उक्त भूमि बाबत् मौके पर किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज करने के पश्चात् विवाद सामने नहीं आया हैं। मूल पक्षकारों का देहान्त भी हो चुका हैं। तथा पार्टी संख्या 1 राजेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति राजपूत, ने न्यायालय हाजा में 24.03.2015 को उपस्थित हुवे उन्होने निवेदन किया कि इस मुकदमें को आगे नहीं चलाना चाहते एवं धारा 145 की कार्यवाही बन्द की जावें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं। ऐसी अवस्था में जनहित में उक्त रास्ते की भूमि को कुर्की से मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत हेाता हैं।

अतः मूल पक्षकार राजेन्द्रसिंह का देहान्त हो जाने तथा उनके द्वारा इस मुकदमें को आगे नहीं चलाने का निवेदन दिनांक 24.03.2017 को करने के कारण भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के बीच ओल्ड पब्लिक पार्क के पास स्थित प्लॉट **30X149** फुट को कुर्की से मुक्त करते हुए मामला ड्रॉप किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमंदिर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर को पालना हेतु पत्र जारी करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सीमा कविया, (आर.ए.एस.)
अपर कलक्टर एवं अपर जिला
मजिस्ट्रेट,
(शहर) प्रथम, जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 18.7.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा कविया, (आर.ए.एस.)
अपर कलक्टर एवं अपर जिला
मजिस्ट्रेट,
(शहर) प्रथम, जोधपुर

अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर